

नियतकालिक वेतन-वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का सन्दर्भ है, उन्होंने वेतन वृद्धियों के लिए न मिली जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तब अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को धराने के बाद खाने (6) में दी गई तारीख से 01-07-2018 वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक अवैतनिक वेतन वृद्धि के रूप में सहकर खाने (6) में दी गई तारीख से नियमित नियतकालिक वेतन वृद्धियां अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख तक और तारीख से तक ही गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियों नीचे उल्लिखित स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पर्धिकरणत्मक ज्ञापन में वेतन वृद्धि के लिए निजी गई है / है, उनके / उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते / जाती, तो पद / पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।

नियतकालिक वेतन वृद्धियां अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान वेतन बैंड	वर्तमान वेतन / ग्रेड वेतन	जिस तारीख से वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वृद्धि की तारीख	अगला वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	वृद्धि के लिए न मिली जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति	अवैतनिक छुट्टी तथा उनका मामले में जो स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी जिसके दौरान वह / वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता / करते रहते।
1. डॉ. आई आर. सोनवानी, प्राचार्य	2. स्थानापन्न	3. वेतन 14	4. वेतन मैट्रिक्स-लेवल 14 कोस्टिका-13	5. वेतन-205600 / --	6. 01-07-2020	7. वेतन मैट्रिक्स-लेवल 14 कोस्टिका-14	8. वेतन-211800 / --	9. 10. 11.

दिपणी :- 1. जब तब की गई वेतन वृद्धि पहली ऐसी वेतन वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतातरीख पर होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) ताल स्याही से भर जानें चाहिये।

2. प्रमाण-पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिये। जिस किसी मामले में प्रमाण-पत्र (2) लागू होता हो उससे स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिये।

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, शासकीय एनी अकादीमई बोधी मंडलिका, दिनांक-अवैतनिक (क्र.ग.)।
2. उपस्थित अधिकारियों।

Handwritten signature and text in Hindi.



उप सहायक
उप शिवाजी शासकीय-भा.स.
नया रायपुर अटल नगर (क्र.ग.)

क्रमांक / 139/स्था./2020

धुमका, दिनांक 22/7/2020

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

2. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद /पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद	का	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति	अवैतनिक छुट्टी में जो उनके मानत रूप से पदों पर है, वह समी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डॉ. बी.के. देवागन सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र	स्थानापन्न	13A	192900	01-07-2020	01-07-2021	198700	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

3. टीप :- वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्रचार्य

शासकीय सनी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
धुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / 140/स्था./2024

नियतकालिक वेतन – वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

घुमका, दिनांक 23/7/2024

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लिखित स्थापन शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जा स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह स्त्री प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्री शिवनारायण कामडी	स्थानापन्न	13A	192900	01-07-2020	01-07-2021	198700	-	-	-	-
सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र										

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावशेष पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) ताल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।
3. टीप :- वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला—राजनांदगाँव (छ.ग.)

क्रमांक /141/स्था./2020

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

घुमका, दिनांक 22/7/2020

- प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाता, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति			अवैतनिक छुट्टी तथा उनमें मानले में जा स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते
							से	तक	से	
डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य	स्थानापन्न	13A	176500	01-07-2020	01-07-2021	181800	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावशेष पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्टाही से भरे जाने चाहिए।

- प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।
- टीप :- वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

क्रमांक /148/स्था./2021

E-mail -govt.collegeghunhka@gmail.com, Website - www.rabcollege.ac.in

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

धुमका, दिनांक 22/7/2021

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापन शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाता, तो पद/पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली अवधि	तक	अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जा स्थापनापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापनापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डॉ. केशवदास देशलहरा सहायक प्राध्यापक, हिंदी	स्थानापन्न	13A	181800	01-07-2020	01-07-2021	187300	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

- प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।
- टीप :- वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
धुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

घुमका, दिनांक 22/7/2024

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाता, तो पद/पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से निवृत्तकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करसे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद का वेतनमान	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली अवधि	वृद्धि के लिए न गिनी कर्तव्य से	अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थानापन्न रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डॉ. रोहन प्रसाद	स्थानापन्न	13A	171400	01-07-2020	01-07-2021	176500	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावशेष पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्वाही से भरे जाने चाहिए।

- प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।
- टीप वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्राचार्य
शासकीय रानी अवती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

घुमका, दिनांक 23/7/2021

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियों नीचे उल्लेखित स्थापना शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद/पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल स्थापनापन्न या	पद वेतनमान का	वर्तमान वेतन	जिस वेतन से वर्तमान वेतन की तुलना की गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की वृद्धि तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली अवधि	तक	से	तक
श्रीमती प्रीति खुरसैल	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र	स्थानापन्न	Level - 10	57700	01-07-2018	दक्षतावरोध		-	-	-	-

परिीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत वेतन वृद्धि दी जायेगी।

- टिप्पणी:-
- जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्टाही से भरे जाने चाहिए।
 - प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।
 - टीप :- वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

website-www.rablcollege.ac.in

Email govt.collegeghumka@gmail.com

क्रमांक / 95 / लेखा / 2021

घुमका, दिनांक 30/06/2021

:: आदेश ::

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक 23/आउशि/अराज./2020 दिनांक 22.02.2021 के तहत श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, सहायक ग्रेड-3 का वेतनमान (25300-80500 वेतन लेबल-6) में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप निम्नानुसार वेतन निर्धारित किया जाता है -

दिनांक	सहायक ग्रेड-3 के पद वेतनमान 19500-62000 वेतन लेबल-4 में प्राप्त वेतन	सहायक ग्रेड-2 के पद वेतनमान 25300-80500 वेतन लेबल-6 में पदोन्नति पद निर्धारित वेतन	विशेष
01/07/2020	26200	-	
26/02/2021	26200	(26200)	
01/07/2021	27000	-	पदोन्नति दिनांक
	(27000)	27800 (पदोन्नति पर एक वेतनवृद्धि)	नियमित वेतनवृद्धि
		28500 आगामी प्रक्रम	विकल्प-5 के आधार पर मू.नि.22डी(1) वित्त निर्देश 21 एवं 35 वर्ष 2010 के अनुसार निर्धारण
01/07/2022	-	-	आगामी वेतनवृद्धि तिथि

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

घुमका, दिनांक 30/06/2021

पृष्ठा. क्रमांक / 96 / लेखा / 2021

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) ।
2. संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, दुर्ग (छ.ग.) ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, राजनांदगांव (छ.ग.) ।
4. श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, सहायक ग्रेड-2, शास.रा.अ.ब.लो.महाविद्यालय, घुमका को सूचनार्थ ।
5. व्यक्तिगत नस्ती ।
6. स्थापना/लेखा शाखा, शास.रा.अ.ब.लो.महाविद्यालय, घुमका ।
..... की ओर सूचनार्थ ।

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय
घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

(सहायक नियम 264 तथा 265 देखिए)

क्रमांक / 145/स्था./2021

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rabcollege.ac.in

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

घुमका, दिनांक 22/7/2021

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ती गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लेखित स्थापना शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है / है, उनके / उसके दौरान वह / वे यदि छुट्टी पर नहीं जाते, तो पद / पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता / करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी / कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है / अर्जित करेगा / करेगी।

पदचारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद वेतनमान का	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वेतन वर्तमान की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली अवधि	तक	अवैतनिक छुट्टी तथा उनके सामने में जो स्थापना रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह / वे पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता / करते रहते	
1 श्री खिलेश्वर हिरवानी	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
प्रयोगशाला परिचारक	स्थानापन्न	Level - 3	5200-20200	20300	01-07-2020	01-07-2021	20900	-	-	11
							से	तक	से	तक

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्थाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।
3. टीप :- वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, website - www.rabicollege.ac.in

कामक / 118/स्था./2021

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

घुमका, दिनांक: 09/7/2021

1. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों, को घटाने के बाद खाने (6) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियाँ अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियाँ नीचे उल्लेखित स्थापन शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थापन रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद वेतनमान का	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति			अवैतनिक छुट्टी तथा उनके मामले में जो स्थापन रूप से पदों पर है, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापन रूप से कार्य करता रहता/करते रहते
							से	तक	से	
श्री रमेश कुमार यादव बृक लिपटर	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Level - 3 5200-20200	32400	01-07-2020	01-07-2021	33400	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का रक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्याही से भरने जानें चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

3. टीप :- वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,

घुमका, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)

E-mail -govt.collegeghumka@gmail.com, Website - www.rabicollege.ac.in

क्रमांक /147/स्था./2024

घुमका, दिनांक: 23/7/2024

नियतकालिक वेतन - वृद्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि नीचे जिन शासकीय कर्मचारियों के नामों का उल्लेख है, उन्होंने वेतन - वृद्धियों के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की तथा अवैतनिक छुट्टी संबंधी अनुपस्थिति आदि की अवधियों को घटाने के बाद खाने (5) में दी गई तारीख से वर्ष से कम न होने वाली अवधि तक उल्लिखित पदों पर पदाधिकारियों के रूप में रहकर, खाने (6) में दी गई तारीख से निर्धारित नियतकालिक वेतन-वृद्धियों अर्जित की है, आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि तारीख से तक और तारीख से तक ली गई छुट्टी की अवधि अथवा अवधियां नीचे उल्लिखित स्थापना शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों के सामने में वेतन-वृद्धि के लिए गिनी गई है/है, उनके/उसके दौरान वह/वे यदि छुट्टी पर नहीं जात, तो पद/पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता/करते रहते।
- यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित शासकीय कर्मचारी/कर्मचारियों ने इससे सम्बद्ध स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन में बताये गये कारणों से दी गई तारीख से नियतकालिक वेतन-वृद्धि अर्जित की है/अर्जित करेगा/करेंगे।

पदधारी का नाम	मूल या स्थानापन्न	पद वेतनमान का	वर्तमान वेतन	जिस तारीख से वर्तमान वेतन की रकम निकाली गई है वह तारीख	वर्तमान वेतन की तारीख	अगला वेतन	वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कर्तव्य से अनुपस्थिति		अवैतनिक छुट्टी तथा उनमें से पदों पर हैं, वह सभी प्रकार की छुट्टी के दौरान वह/वे पदों पर स्थापना रूप से कार्य करता रहता/करते रहते	
							से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्री श्यामलाल धोबी चौकीदार	स्थानापन्न	Level - 3 5200-20200	32400	01-07-2019	01-07-2020	33400	-	-	-	-

टिप्पणी:- 1. जब दावा की गई वेतन-वृद्धि पहली ऐसी वेतन-वृद्धि हो, जिससे किसी शासकीय कर्मचारी का दक्षतावरोध पार होता हो, तब खाने (5), (6) तथा (7) लाल स्पाही से भरे जाने चाहिए।

2. प्रमाण पत्र (1) या (2) के लागू होने के अनुसार प्रत्येक नाम के सामने अंक (1) या (2) देना चाहिए जिस किसी मामले में प्रमाण पत्र (2) लागू होता हो उसमें स्पष्टीकरणत्मक ज्ञापन प्रस्तुत किया ही जाना चाहिए।

3. टीप :- वेतनवृद्धि का लाभ छ.ग. शासन वित्त विभाग का आदेश क्र.290/सम.ब-4/चार दिनांक 30.06.2021 के निर्देशानुसार किया जावे।

प्रचार्य

शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,

घुमका, जिला-राजनांदगाँव (छ.ग.)